

जीएसटी परिषद की बैठक आज, कारों का कर की विसंगति

एजेसी ► हैदराबाद

माल एवं सेवाकर (जीएसटी) के मामले में निर्णय लेने वाली शीर्ष संस्था जीएसटी परिषद की 21वीं बैठक कल हैदराबाद में होगी। इस बैठक में आम उपभोग की वस्तुओं पर कर विसंगति दूर करने तथा मध्यम एवं लक्जरी कारों पर उपकर बढ़ाने के बारे में फैसला किया जा सकता है। इस बैठक में जीएसटी नेटवर्क से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी मुद्दे पर भी चर्चा होगी जिसमें हाल ही में तकनीकी खामी देखी गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली इस अधिकार संपन्न परिषद की बैठक में कल दो दर्जन से अधिक उत्पादों पर कर दर कम करने का फैसला किया जा सकता है।

वित्तमंत्री होंगे शामिल

परिषद में राज्यों एवं केंद्र शासित

खास नोट

- परिषद की 21 वीं बैठक आज हैदराबाद में
- दो दर्जन से अधिक उत्पादों पर दर कम करने होगा विचार
- सूखी इमली, कस्टर्ड पाउडर व गैस लाइटर पर हो सकती है विसंगति दूर
- ब्रांडों की पंजीकरण तारीख 15 मई 2017 हो सकती है तय

लक्जरी

इसके अलावा और लक्जरी हाइब्रिड और पर उपकर कल की बैठक फैसला हो परिषद की पांच अंतराजिसमें कार बढ़ाकर 25 का फैसला के विचार रहे।

तकनीकी

परिषद की इसी खामियों को जीएसटीआर फाइलिंग के और बाद में रिटर्न की ऑ

सकती है। एक जुलाई से माल एवं सेवाकर लागू होने के बाद

सेंसेक्स, निफ्टी मामूली बढ़त के साथ बंद

मुंबई। उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों शुक्रवार को हल्की बढ़त के साथ बंद हुए। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 24 अंक मजबूत होकर 31,687.52 अंक पर बंद हुआ। विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की बिकवाली और उत्तर कोरिया को लेकर भू-राजनीतिक तनाव से बाजार पर असर पड़ा। हालांकि, घरेलू संस्थागत निवेशकों की लिवाली जारी रहने तथा रुपये में मजबूती से बाजार को थोड़ी राहत मिली। साप्ताहिक आधार पर देखा जाए तो पिछले चार सप्ताह में पहली बार सेंसेक्स नीचे आया है। तीस शेयरों वाला सूचकांक 24.78 अंक या 0.08 प्रतिशत मजबूत होकर 31,687.52 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स गुरुवार को 0.77 अंक मजबूत हुआ था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 4.90 अंक 0.05 प्रतिशत की मामूली बढ़त के साथ 9,934.80 अंक पर बंद हुआ। चार सप्ताह में यह पहला मौका है जब इसमें गिरावट दर्ज की गयी।

सनसिटी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड

रजि. कार्यालय ए-924, शिद्धिविनायक बिजनेस टॉवर, डीसीपी कार्यालय के पीछे, मकारवा, एस.जी. हाइवे, अहमदाबाद - 380051, गुजरात
सीआईएन : U45201GJ2003PTC096260
कॉर्पोरेट कार्यालय: सनसिटी बिजनेस टॉवर, दूसरी मंजिल, गॉल्फ कोर्स रोड, सेक्टर - 54, गुडगांव - 122002, हरियाणा
फोन नं. 0124-4691000 फैक्स: 0124-4691010

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है "पर्यावरण मंत्रालय, वन और जयवायु परिवर्तन-भारत सरकार", इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003 ने अपने पत्र क्रमांक F.No. 21-73/2017-IA-III दिनांक 04 सितंबर 2017 के द्वारा हमारी विस्तार "आवासीय प्लॉटिड कालोनी" प्रोजेक्ट जो गांव बोहर और पैरा, सेक्टर-34 (पी), 35 और 36, जिला रोहतक, हरियाणा में स्थित है, को पर्यावरण अनापत्ति प्रदान कर दी है। पर्यावरण अनापत्ति की प्रतियाँ हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर उपलब्ध हैं और पर्यावरण मंत्रालय, वन और जयवायु परिवर्तन की वेबसाइट <http://www.envfor.nic.in> पर भी देखी जा सकती है।

महा प्रबंधक

कार्यालय नगरपालिका महम (रोहतक)

सार्वजनिक सूचना

भारत सरकार द्वारा देश को खुले से शौच मुक्त करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अभियान चलाया गया है। इसी अभियान के तहत महम शहर को शौच मुक्त करने हेतु नगरपालिका

व्यापार हरिभूमि 5

दस साल तक दस फीसदी ग्रोथ के बाद सीना ठोके भारत : राजन

नई दिल्ली। नोटबंदी के बाद आर्थिक वृद्धि के मामले में भारत के चीन से पिछड़ने पर भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि सरकार को दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था को लेकर अपना सीना तब तक नहीं टोकना चाहिए जब तक कि लगातार दस साल तक मजबूत जीडीपी वृद्धि हासिल नहीं कर ली जाती है। राजन ने साक्षात्कार में कहा कि भारत संस्कृति और इतिहास जैसे मुद्दों पर तो दुनिया में बढ़चढ़कर अपनी बात कह सकता है, लेकिन वृद्धि के मोर्चे पर उसे ऐसा तभी करना चाहिए जब वह दस साल तक 8 से 10 प्रतिशत की उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल कर लेता है।

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग

बेज नं. 67-70, सेक्टर-2, पंचकुला-134151
(www.hssc.gov.in)

मौलिक शिक्षा विभाग, हरियाणा के विज्ञा. सं. 3/2015, श्रेणी सं. 2

के तहत टीजीटी शारीरिक शिक्षा (शेष हरियाणा) के पद हेतु साक्षात्कार से पूर्व दस्तावेजों की संवीक्षा हेतु सूचना

माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा सीडब्ल्यूपी सं. 2129 ऑफ 2017 शीर्षक राकेश कुमार तथा अन्य बनाम हरियाणा सरकार के तहत दिनांक 02.05.2017 को दिशा-निर्देशों और सीडब्ल्यूपी नं. 15979 ऑफ 2016 (ओ एंड एम) शीर्षक सरिता यादव बनाम हरियाणा सरकार तथा अन्य सम्बन्धित मामलों के तहत दिनांक 14.07.2017 को पारित दिशा-निर्देशों और आयोग की दिनांक 03.08.2017 की सूचना को ध्यान में रखते हुये, आयोग ने उन उम्मीदवारों, जिनके अनुक्रमांक दिनांक 20.04.2017 की परिणाम सूचना द्वारा पहले ही प्रकाशित किये जा चुके हैं, मौलिक शिक्षा विभाग हरियाणा के विज्ञा. सं. 3/2015 श्रेणी सं. 2 के तहत टीजीटी शारीरिक शिक्षा (शेष हरियाणा) के पद